Commissioners' Charges	Rs. 2 lakhs to 10 lakhs		Rs. 10 lakhs to 25 lakhs		Rs. 25 lakhs to 50 lakhs		Rs. 50 lakhs to 1 crore		Above 1 crore	
	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs	Ind.	HUFs
Madhya Pradesh .	481	159	29	14	3	1	1	3	1	..
Andhra Pradesh .	772	233	47	8	9	2	3	1	3	..
Mysore . . .	729	193	19	11	1	..	..	..	..	..
Madras . . .	1160	280	35	6	4	5	..	..	..	..
Kerala . . .	454	96	27	5	3	1	..	..	1	..
TOTAL .	18044	2773	921	146	169	29	40	10	22	..

निवृत्ति वेतन के मामले

२९००. { श्री वाडीवाला :
श्री क० भे० मालवीय :
श्री दलजीत सिंह :
श्री न० म० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनके निवृत्ति वेतन के मामले निबटाने के लिये कितनी अवधि नियत की गई है ; और

(ख) निवृत्ति वेतन के कितने मामले छः महीने, एक साल, दो साल अथवा पांच साल से अधिक समय से विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इसके लिये कोई अवधि निश्चित नहीं है ; पर पेंशन सम्बन्धी आवेदन-पत्रों को निबटाने वाले सभी अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखने का आदेश दिया गया है कि जिस अफसर को जिस दिन से पेंशन मिलनी हो उसे वह उसी दिन से मिलने लगे । यदि किसी खास मामले में देर लगे बिना काम न हो तो अन्त में जितनी पेंशन निश्चित होने का अनुमान हो उसके हिसाब से अफसर को कुछ रकम दी जाने लगती है ताकि उसे कष्ट न हो ।

(ख) जो सूचना मांगी गई है वह प्राप्त नहीं है । सारे देश में केन्द्रीय सरकार के जितने दफ्तर हैं, उनसे यह सूचना प्राप्त करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा उतना इससे लाभ नहीं होगा ।

निवृत्ति वेतन

२९०१. { श्री वाडीवाला :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितना निवृत्ति वेतन मिल सकता है ;

(ख) क्या यह सच है कि सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले निवृत्ति वेतन की न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है जब कि निवृत्ति वेतन की अधिकतम सीमा नहीं निश्चित की गई है ; और

(ग) यह सीमा किन सिद्धान्तों पर आधारित है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कम से कम कितनी पेंशन दी जाये, इसके बारे में कोई निर्धारित नियम नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह निर्धारित कर दिया गया है कि पेंशन पाने के लिये पेंशन पाने की योग्यता प्रदान करने वाली अधिक से अधिक कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिये और विहित नियम के अनुसार अधिक से अधिक कितनी पेंशन दी जानी चाहिये ।